सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 4088 /चि0–3–2016–1666/2005टी0सी0

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016**

विषयः–अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1787/चि0–3–10–1666/2005, दिनांक 28.05.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के पश्चात् पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2045(II)/चि0–3–07–1666/2005, दिनांक 20.09.2007 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का सदुपयोग न होने के कारण इसको निरस्त करते हुये अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् संवर्ग के चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में कुल–5 बिन्दुओं पर दिशा निर्देश शासनादेश दिनांक 28.05.2010 के द्वारा निर्गत किया गया था। प्रश्नगत दोनो शासनादेशो के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि शासनादेश संख्या–2045(II)/चि0–3–07–1666/2005, दिनांक 20.09.2007 की प्रक्रिया सरल एवं व्यवहारिक है। अतः वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त शासनादेश दिनांक 28.05.2010 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 20.09.2007 के प्राविधान को निम्नानुसार लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2. प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे चिकित्साधिकारियों, जो कुछ समय के लिये अपनी डयूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाते है। उनके वापस आने पर नियंत्रक अधिकारी द्वारा उन्हें कार्यभार ग्रहण नही कराकर उनका प्रकरण सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ व शासन को सन्दर्भित कर दिया जाता है। उक्त अवधि को बाद में बाध्य प्रतीक्षा अवधि घोषित करना पड़ता है, जिससे शासन को वित्तीय क्षति होती है तथा चिकित्सकों की सेवा का लाभ भी आम जनता को नही मिल पाता है।

1. अतः अनधिकृत अनुपस्थिति के बाद यदि कोई चिकित्सक कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी आवेदन–पत्र प्रस्तुत करता है, तो उससे स्पष्ट रूप में यह लिखित रूप में लिया जाय कि अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में वह कहाँ थे और क्या कर रहे थे।
2. उनका साक्ष्य युक्त आवेदन प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करा लिया जाय परन्तु अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि का वेतन न दिया जाय।
3. अनधिकृत अनुपस्थिति का प्रकरण महानिदेशक के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी को साक्ष्य एवं अपनी संस्तुति सहित निर्णय हेतु सन्दर्भित कर दिया जाय तथा उक्त अनुपस्थिति अवधि का वेतन नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के पश्चात् ही आहरित किया जाय।
4. चिकित्सक जिस कार्यस्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हुये हो, उनका कार्यभार ग्रहण करने विषयक आवेदन उसी स्थल पर ग्रहण किया जायेगा, किन्तु

स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन से बचने के लिये यदि कोई चिकित्सक अनुपस्थित होते है तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा उन्हें अनुपस्थिति में कार्यभार मुक्त कर दिया जाता है, तो उन्हें अनुपस्थिति अवधि के बाद स्थानान्तरित स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्साधिकारियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं, मण्डलीय अपर निदेशकों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

4. इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1652/चि0–3–10–1664/2009, दिनांक 03.05.2010, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1653/चि0–3–10–1664/2009, दिनांक 03.05.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1654/चि0–3–10–1664/2009, दिनांक 03.05.2010 द्वारा सेवा समाप्त चिकित्सा अधिकारियों को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय अन्यथा दोषी के विरूद्व संगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

5. उपरोक्त शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् ऐसे प्रकरणों को शासन को सन्दर्भित न किया जाय तथा यह भी प्रमाणित किया जाय कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्साधिकारियों के दिनांक 30.11.2016 तक के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है अथवा शासन को सन्दर्भित कर दिये गये हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 4088 (1)/चि–3–16–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।
5. चिकित्सा अनुभाग–2, 8/गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रभारी।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव